



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230450
CG-DL-E-16102021-230450

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3932]
No. 3932]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4281(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3386 (अ), तारीख 18 अगस्त, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में NH44 के कि.मी. 65.85 से कि.मी. 86.38 (लघु सचिवालय पानीपत) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25 अगस्त, 2021" को "दैनिक भास्कर" और "द ट्रिब्यून" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और कोई आक्षेप किसी भूमि मालिक/हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में NH44 के कि.मी. 65.85 से कि.मी. 86.38 (लघु सचिवालय पानीपत) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: पानीपत			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पानीपत				
	गांव का नाम: खेड़ी नांगल				
1	130 Min	निजी	गैर मुमकिन ड्रेन	0.0025293	ग्राम पंचायत (130 मिन)
2	55//1 Min	निजी	गैर मुमकिन मकान	0.0050587	जयपाल पुत्र धर्मसिंह पुत्र पहलादा 16/63 भाग सतीश कुमार, जगबीर सिंह पुत्रान नन्हा राम पुत्र ज्ञानी राम समभाग 2/21 भाग श्रीमति कमला देवी पत्नी सन्तोष कुमार पुत्र रामचन्द्र 5/63 भाग सुखबीर सिंह पुत्र नन्हा राम पुत्र मोहन लाल 2/9 भाग प्रताप सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र मकर 22/189 भाग सतीश कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र पुत्र मांगे राम 44/189 भाग वासीदेह (55//1 मिन)
3	55//10 Min	निजी	ब.कदीम	0.0101174	वेदपाल, जोगिन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रान महा सिंह, पुत्र मोलू समभाग 919/1248

					भाग श्रीमति सुदर्शन विधवा कृष्ण पुत्र सुमन, पुनम, रजनी पुत्रीयांन राजेन्द्र समभाग 919/3744 भाग पुत्र अनिल कुमार पुत्र हरि चन्द 17/936 भाग वासीदेह (55//10 मिन)
4	55//11 Min	निजी	ब.कदीम	0.015176	प्रेमसागर, चन्दन कुमार, देव सागर, अनिल कुमार, पितम्बरश्याम पुत्रान हरि चन्द पुत्र रामकिशन समभाग वासीदेह (55//11 मिन)
5	55//20 Min	सरकारी	गैर मुमकिन बिजली घर	0.0126467	केन्द्र सरकार (55//20 मिन)
6	55//21 Min	सरकारी	गैर मुमकिन बिजली घर	0.0050587	केन्द्र सरकार (55//21 मिन)
			कुल	0.0505868	

[फा. सं. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2021

S.O. 4281(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3386 (E) dated 18 August 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH44 on the stretch of land from Km. 65.85 to Km. 86.38 in the district of PANIPAT in the state of HARYANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “The Tribune” both dated 25 August 2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from interested persons of concerned village;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km 65.85 to Km 86.38 (Mini Secretariat, Panipat) in the district of PANIPAT in the state of HARYANA.

State: HARYANA		District: PANIPAT			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Panipat				
	Village: Kheri Nagal				
1	130 Min	Private	Gair Mumkin drain	0.0025293	Gram Panchyat 130 Min
2	55//1 Min	Private	Gair Mumkin Makan	0.0050587	Jaipal S/o Dharamsingh S/o Pahlada 16/63 Share Satish Kumar, Jagbir Singh Sons of Nanha ram S/o Gianiram in equal Share 2/21 Share Smt Kamla Devi W/o Santosh Kumar S/o Ram Chander 5/63 Share Sukhbir Singh S/o Nanha Ram S/o Mohan lal 2/9 Share Pratap Singh S/o Dharam Singh S/o Makkar Singh 22/89 Share Satish Kumar S/o Prem Chand S/o Mangeram 44/189 Share Wasideh 55//1 Min
3	55//10 Min	Private	B. Kadim	0.0101174	Vedpal, Joginder Singh, Narendra Singh Sons of Maha Singh S/o Molu in equal Share 919/1248 Share Smt. Sudershan Wd. Karishan Son Suman, Poonam, Rajni D/o Rajender in equal Share 919/3744 Share Anil Kumar S/o Hari Chand 17/936 Share Wasideh 55//10 Min
4	55//11 Min	Private	B. Kadim	0.015176	Prem Sagar, Chandan Kumar, Dev Sagar, Anil Kumar, Pitambarshyam Ss/o Harichand S/o Ramkishan in equal Share Wasideh 55//11 Min
5	55//20 Min	Government	Gair Mumkin Bijli ghar	0.0126467	Center Government 55//20 Min
6	55//21 Min	Government	Gair Mumkin Bijli ghar	0.0050587	Center Government 55//21 Min
			TOTAL	0.0505868	

[F. No. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director